अध्याय - II

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

अध्याय-II

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

यह अध्याय वि.व. 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वित्त का व्यापक परिदृष्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

2.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव

इस भाग में पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय संचयन में मुख्य बदलावों को सरसरी तौर पर दिया गया है। इन सभी संकेतकों का आगामी पैराग्राफों में विश्लेषण किया गया है। वि.व. 2020-21 की तुलना में वि.व. 2021-22 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलावों को **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: वि.व. 2020-21 की तुलना में वि.व. 2021-22 में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय संचयनों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियां	✓ राजस्व प्राप्तियां 17.79 *प्रतिशत* बढ़ गई। ✓ स्वयं कर प्राप्तियां 36 *प्रतिशत* बढ़ गई। ✓ गैर-कर प्राप्तियां 15.61 *प्रतिशत* घट गई। ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान 26.11 *प्रतिशत* घट गया।
राजस्व व्यय	✓ राजस्व व्यय 13.93 *प्रतिशत* बढ़ गया। ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 10.45 *प्रतिशत* बढ़ गया। ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 15.87 *प्रतिशत* बढ़ गया। ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 9.56 *प्रतिशत* बढ़ गया। ✓ सहायता अनुदान पर व्यय 19.09 *प्रतिशत* बढ़ गया।
पूंजीगत व्यय	✓ पूंजीगत व्यय 76.87 *प्रतिशत* बढ़ गया। ✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 52.03 *प्रतिशत* बढ़ गया। ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 89.66 *प्रतिशत* बढ़ गया। ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 61.25 *प्रतिशत* बढ़ गया।
ऋण तथा अग्रिम	✓ ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण 36.36 *प्रतिशत* घट गया। ✓ ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां 1.27 *प्रतिशत* तक घट गई।
सार्वजनिक ऋण	✓ सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां 47.37[1] *प्रतिशत* तक घट गई। ✓ सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान 29.10 *प्रतिशत* तक बढ़ गया।

[1] वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऋण प्राप्तियों के तहत क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ को हटाने के बाद प्राप्त बैक टू बैंक ऋण।

2.2 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के संघटकों की तुलना करता है। 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के विवरणों को **तालिका 2.2, चार्ट 2.1** तथा **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020-21	2021-22	वृद्धि/कमी (*प्रतिशत* में)
स्रोत	आरंभिक शेष	6,001	11,393	89.85
	राजस्व प्राप्तियां	41,864	49,313	17.79
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	631	623	(-) 1.27
	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां (निवल)	12,100	6,977[2]	(-) 87.41[3]
	कुल	**60,596**	**68,306**	**12.72**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	40,414	46,043	13.93
	पूंजीगत व्यय	4,699	8,311	76.87
	ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	4,090	2,603	(-) 36.36
	अंतिम शेष[4]	11,393	11,349	(-) 0.39
	कुल	**60,596**	**68,306**	**12.72**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.1: संसाधनों की संरचना (2021-22)

(*प्रतिशत* में)

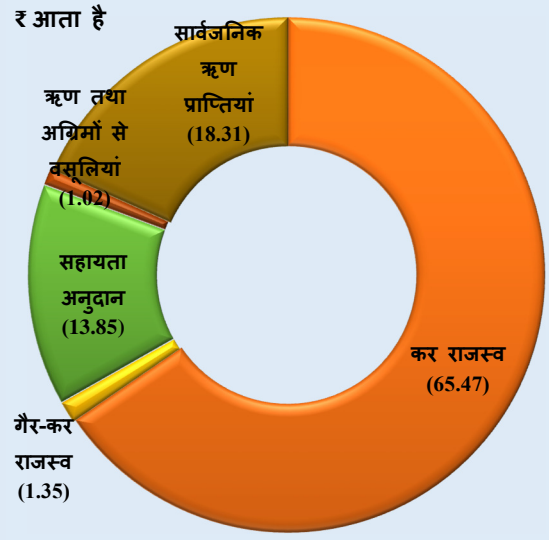

चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग (2021-22)

(*प्रतिशत* में)

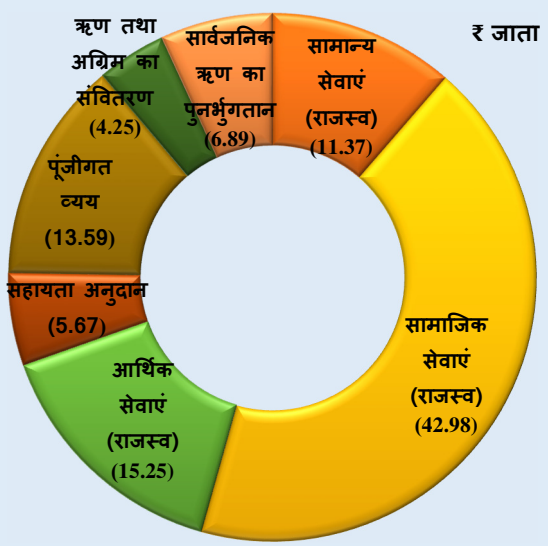

[2] 2021-22 के दौरान लघु बचत संग्रह के हिस्से के लिए भा.स. से 'शून्य' संवितरण के कारण।

[3] वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में प्राप्त क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ एवं ₹ 6,193 करोड़ के हटाने के बाद आया।

[4] राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ₹ 11,349.09 करोड़ के अंतिम शेष को मुख्य शीर्ष '8450: केंद्रशासित प्रदेशों का शेष खाता' के तहत दर्शाया गया है जिसका यूनियन कैश बैलेंस में विलय हो जाता है।

2.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संसाधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान निहित होती है।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. आदि को वितरित ऋण तथा अग्रिम की वसूलियां, भा.स. से ऋण द्वारा प्राप्तियां तथा विभिन्न पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती है।

राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियां दोनों ही रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समेकित निधियों का अंश होती है।

2.3.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियां

समग्र प्राप्तियों की संरचना को **चार्ट 2.3** में नीचे दिया गया है।

चार्ट 2.3: 2021-22 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियों की संरचना

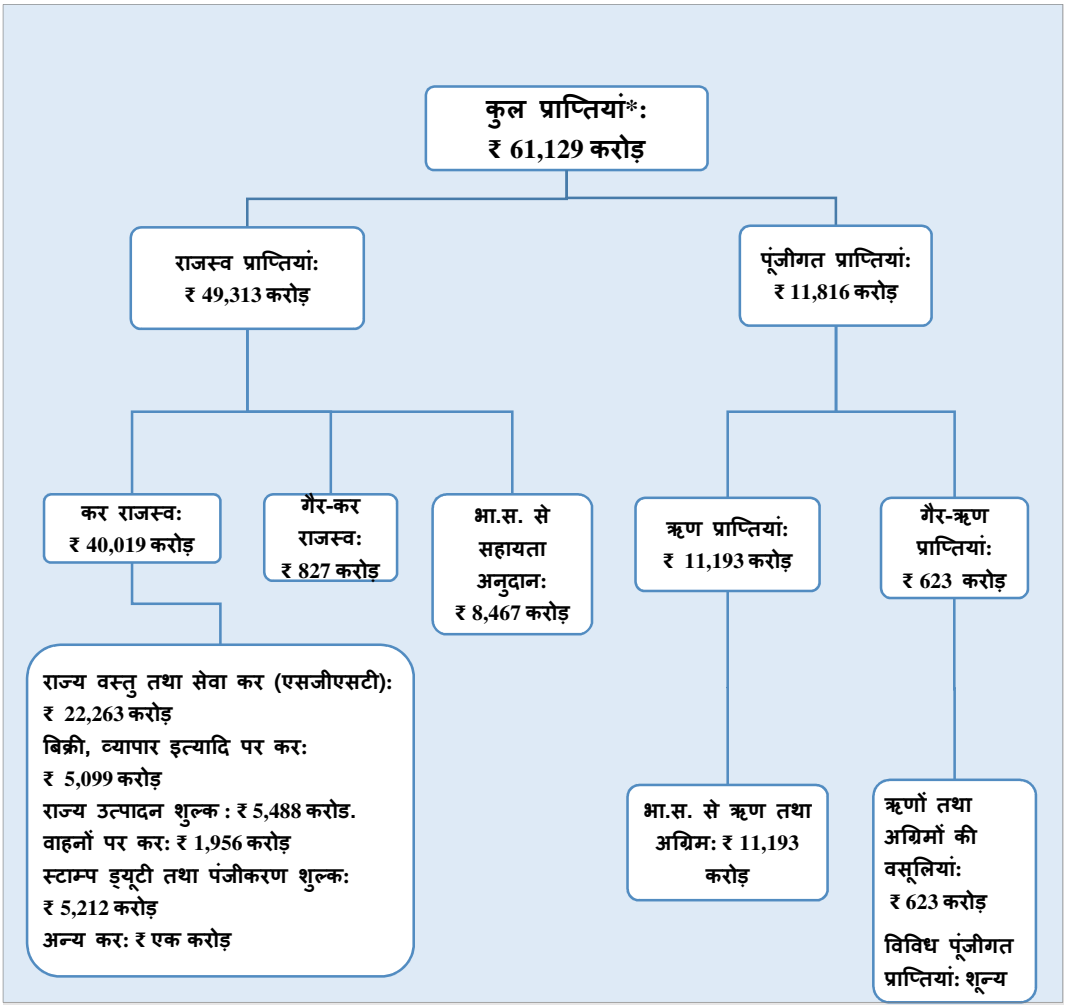

*आरंभिक शेष तथा आकस्मिक निधि के अतिरिक्त

2.3.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कर, गैर-कर राजस्व तथा भा.स. से सहायता अनुदान निहित होती हैं।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में प्रवृतियां, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियां एवं उत्पलावकता अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियों की संरचना **तालिका 2.3** एवं **चार्ट 2.4** में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	38,667	43,113	47,136	41,864	49,313[5]
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	12.58	11.50	9.33	(-)11.18	17.79
स्वयं कर राजस्व (क)	35,717	36,625	36,566	29,425	40,019
स्वयं गैर-कर राजस्व (ख)	766	644	1,097	980	827
स्वयं राजस्व (क+ख)	36,483	37,269	37,663	30,405	40,846
स्वयं राजस्व की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	15.74	2.15	1.06	(-)19.27	34.34
भा.स. से सहायता अनुदान	2,184	5,844	9,473	11,459	8,467
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम)	6,77,900	7,38,389	7,94,030	7,85,342	9,23,967
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	10.03	8.92	7.54	(-) 1.09	17.65
रा.प्रा./सं.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	5.70	5.84	5.94	5.33	5.34
उत्पलावकता अनुपात[6]					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता	1.25	1.29	1.24	*	1.01
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की स्वयं राजस्व उत्पलावकता	1.57	0.24	0.14	*	1.95

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

*चूंकि स.रा.घ.उ. की विकास दर नकारात्मक थी अतः उत्पलावकता की गणना नहीं की गई थी।

राजस्व प्राप्तियां 8 *प्रतिशत* वार्षिक औसत वृद्धि दर से 2017-18 में ₹ 38,667 करोड़ से 27.53 *प्रतिशत* बढकर 2021-22 में ₹ 49,313 करोड हो गई, जिसमें से उक्त अवधि के दौरान क्रमश: रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के स्वयं कर राजस्व में ₹ 4,302

[5] जीएसटी मुआवजा (राज्यों को मुआवजा) जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 11,132.81 करोड़ का जीएसटी मुआवजा प्राप्त करने के अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी मुआवजा कोष में अपर्याप्त शेष के कारण, दिल्ली को रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियों के तहत ₹ 6,193 करोड़ का बैक टू बैक ऋण राज्य के लिए देयता के पुनर्भुगतान किए बिना मिला। इस व्यवस्था के कारण, राजस्व प्राप्ति को जीएसटी मुआवजे के बदले ₹ 6,193 करोड़ की ऋण प्राप्ति के साथ जोड़कर पढ़ा जा सकता है।

[6] उत्पलावकता अनुपात मूल विभिन्नताओं में दिए गए बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय विभिन्नताओं की जवाबदेही की शिथिलता तथा मात्रा को दर्शाता है। उदाहरणार्थ, 1.85 पर स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता का तात्पर्य है कि राजस्व प्राप्तियां प्रवृत्ति 1.85 प्रतिशत बिंदू तक बढ़ जाती, यदि स.रा.घ.उ. एक *प्रतिशत* तक बढ़ता।

करोड़ (12.04 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जबकि भा.स. से सहायता अनुदान में ₹ 6,283 करोड़ (287.68 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

2021-22 के दौरान, राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 7,449 करोड़ (17.79) *प्रतिशत* बढ़ गई, जो विशेष रूप से स्वयं कर राजस्व में ₹ 10,594 करोड़ (36 *प्रतिशत*) वृद्धि के कारण था।

कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं कर राजस्व का अंश 2017-18 में 92.37 *प्रतिशत* से घटकर 2021-22 में 81.15 *प्रतिशत* हो गया। 2017-18 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियां लगभग 94.35 *प्रतिशत* थी जबकि सहायता अनुदान का अंशदान 5.65 *प्रतिशत* था। वर्ष 2021-22 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियां लगभग 82.83 *प्रतिशत* थीं जबकि सहायता अनुदान का योगदान 17.17 *प्रतिशत* था।

चार्ट 2.4: 2017-2022 के दौरान स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां

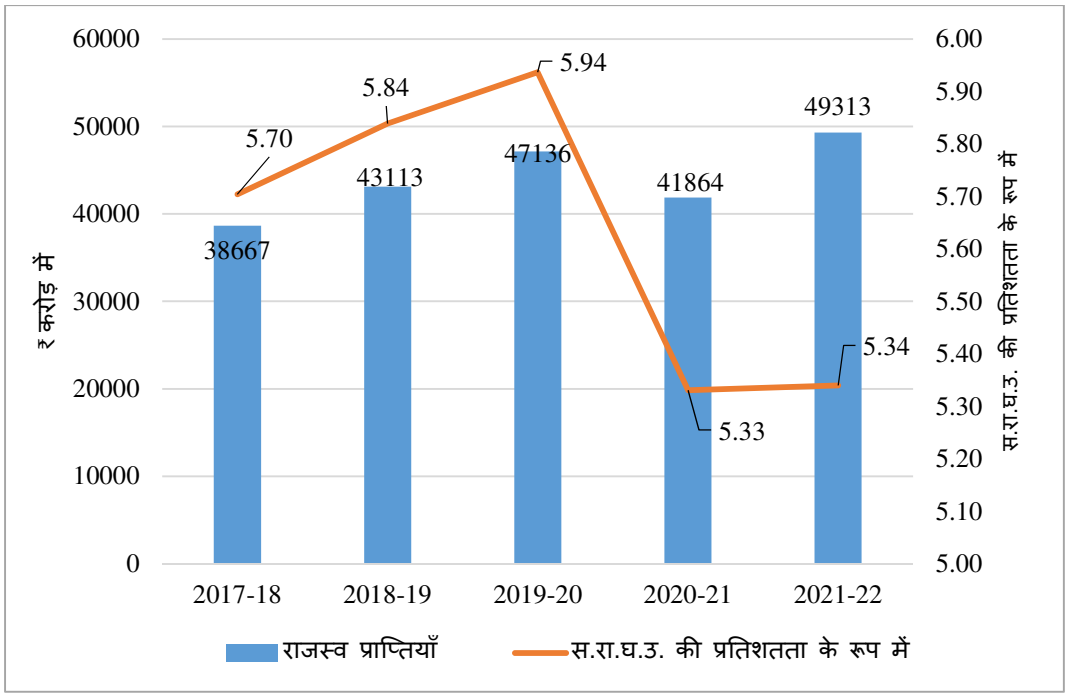

रा.रा.क्षे. दिल्ली की स.रा.घ.उ. 2017-18 में ₹ 6,77,900 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 9,23,967 करोड़ (36.30 *प्रतिशत*) हो गई। 2020-21 की तुलना में, स.रा.घ.उ. (₹ 7,85,342 करोड़) में वृद्धि होकर 2021-22 में ₹ 9,23,967 करोड़ (17.65 *प्रतिशत*) हो गई। जैसा कि **चार्ट 2.4** से स्पष्ट है, स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां 2017-18 में 5.70 *प्रतिशत* से घटकर 2021-22 में 5.34 *प्रतिशत* हो गई। वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के

लिए स.रा.घ.उ. की *प्रतिशतता* के रूप में राजस्व प्राप्तियां में वृद्धि दर्शा रही थी लेकिन 2020-21 में तेजी से घटती हुई एवं 2021-22 में स्थिर दर्शा रही थी।

स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्पलावकता 2021-22 में 1.01 पर थी जिसका तात्पर्य है कि राजस्व प्राप्तियां 1.01 *प्रतिशत* बिन्दुओं तक बढ़ गई, यदि स.रा.घ.उ. एक *प्रतिशत* तक बढ़ गई। 2021-22 में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की स.रा.घ.उ. के संदर्भ में स्वयं राजस्व उत्पलावकता 1.95 थी, इसका तात्पर्य है कि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की स्वयं राजस्व प्राप्तियां 1.95 *प्रतिशत* बिंदु तक बढ़ गई, यदि स.रा.घ.उ. एक *प्रतिशत* तक बढ़ गई थी।

राजस्व प्राप्तियों के संघटकों की प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: राज्य की राजस्व प्राप्तियों में संघटकों की प्रवृत्तियां

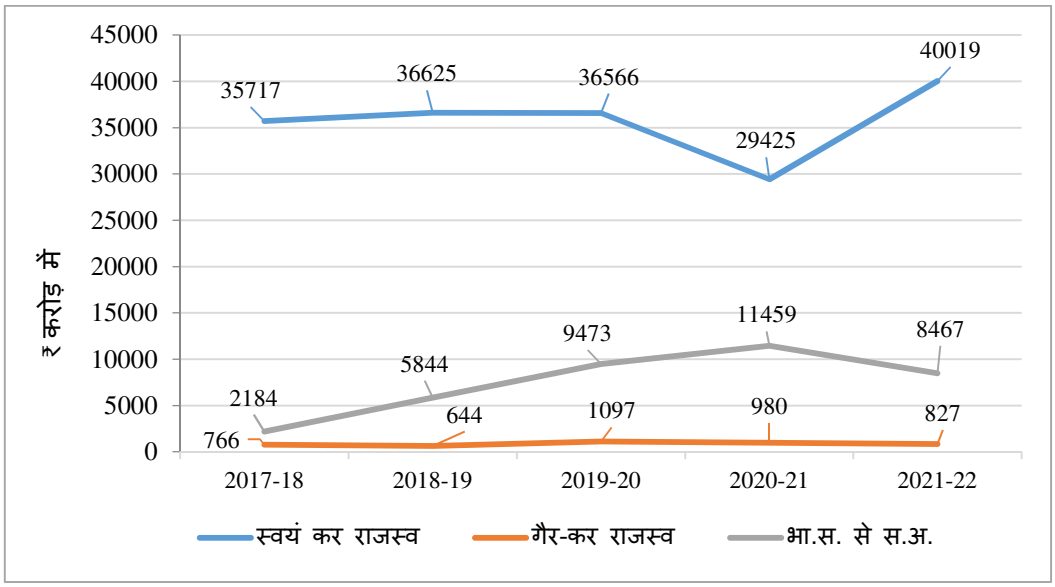

स्वयं कर राजस्व 2017-18 से 2020-21 तक मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शा रहा था, लेकिन 2020-21 की तुलना में 2021-22 में ₹ 10,594 करोड़ (36 *प्रतिशत*) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो मुख्यतः एसजीएसटी के संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6,587 करोड़ (42 *प्रतिशत*) की वृद्धि के कारण थी।

इसके अतिरिक्त, भा.स. से स.अ. 2017-18 से 2020-21 तक बढ़ती प्रवृत्ति दर्शा रही थी लेकिन 2020-21 की तुलना में 2021-22 में मुख्य रूप से भारत सरकार से रा.रा.क्षे.दि.स. को राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान की शून्य प्राप्ति के कारण ₹ 2,992 करोड़ घट गया।

गैर-कर राजस्व में 2017-18 से 2020-21 के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शा रहा था लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज प्राप्ति में कमी के कारण ₹ 153 करोड़ (16 प्रतिशत) की कमी हुई।

2.3.2.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वयं के संसाधन

संसाधनों के संग्रह में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का निष्पादन उसके अपने संसाधनों के मूल्यांकन, जिसमें स्वयं कर एवं गैर-कर शामिल है, से होता है।

स्वयं कर राजस्व

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अपना कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प डयूटी तथा पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व इत्यादि सम्मिलित होते हैं। 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के स्वयं कर राजस्व के संघटकों की प्रवृत्ति को **तालिका 2.4** तथा **चार्ट 2.6** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.6: 2017-18 से 2021-22 के दौरान स्वयं कर राजस्व की वृद्धि

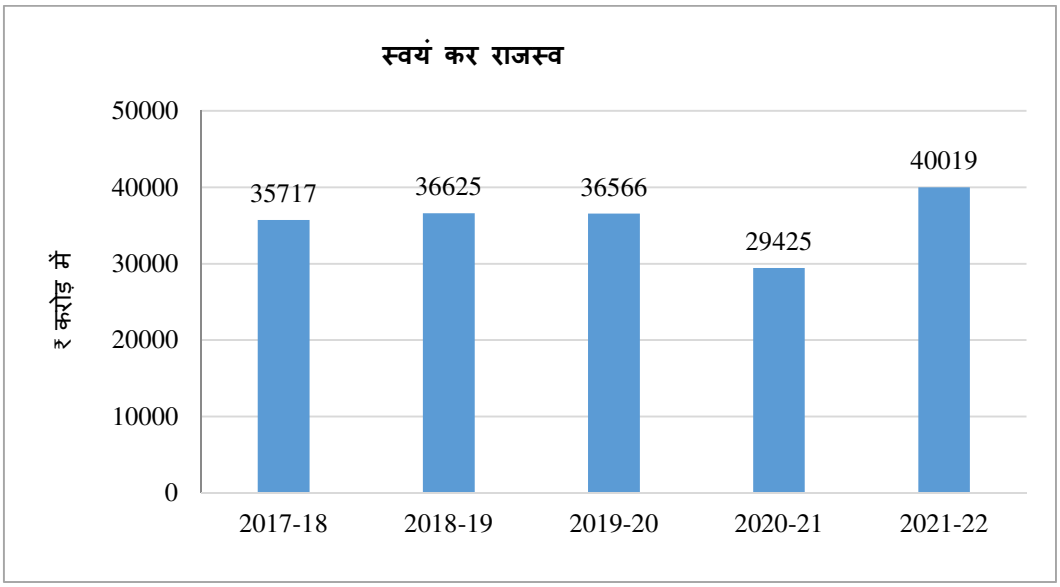

तालिका 2.4: रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के स्वयं कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य वस्तु तथा सेवा कर (एसजीएसटी)	13,621	19,187	19,465	15,676	22,263
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	11,149	5,886	5,475	4,411	5,099
राज्य उत्पाद शुल्क	4,453	5,028	5,068	4,108	5,488
वाहनों पर कर	2,116	2,055	1,948	1,676	1,956
स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क	4,117	4,459	4,606	3,549	5,212
भू राजस्व	2	0	3	4	0
अन्य कर[7]	259	10	1	1	1
कर राजस्व	**35,717**	**36,625**	**36,566**	**29,425**	**40,019**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[7] मनोरंजन कर, बैटिंग कर, विलासिता कर तथा केबल कर को शामिल करते हुए अन्य कर

तालिका 2.5: वर्ष 2021-22 के लिए पु.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	ब.अ. (प्राप्ति बजट 2021-22 के अनुसार) (₹ करोड़ में)	पु.अ. (प्राप्ति बजट के अनुसार) (₹ करोड़ में)	वास्तविक (₹ करोड़ में)	ब.अ. और वास्तविक के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	पु.अ. और वास्तविक के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	ब.अ. की तुलना में प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी	पु.अ. की तुलना में प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	23800	21,500	22,263	(-) 1537	(+)763	(-) 6.46	(+) 3.55
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6200	5,000	5,099	(-) 1101	(+)99	(-) 17.76	(+) 1.98
राज्य उत्पाद शुल्क	6000	5,000	5,488	(-) 512	(+)488	(-) 8.53	(+) 9.76
वाहनों पर कर	2000	1,850	1,956	(-) 44	(+) 106	(-) 2.20	(+) 5.73
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	4997	4,997	5,212	215	(+) 215	4.30	(+)4.30
भू-राजस्व	3	3	0	(-) 3	(-) 3	(-) 100	(-) 100
अन्य कर	0	0	1	1	1	-	-
कुल	**43000**	**38,350**	**40,019**	**(-)2981**	**(+) 1,669**	**(-) 6.93**	**(+) 4.35**

2021-22 के दौरान, बजट अनुमानों की तुलना में सभी राजस्व शीर्षों (स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) में कमी थी।

वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)

जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017, के अनुसार पांच साल की अवधि के लिए आधार वर्ष (2015-16) से 14 *प्रतिशत* की वार्षिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वस्तु तथा सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण उत्थित राजस्व में हुई कमी के लिए राज्यों को मुआवजा दिया जायेगा। केन्द्र वस्तु तथा सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी उद्गृहीत करता है तथा राज्यों को कर के अंश बांटता है जहां वस्तुएं अथवा सेवाओं का उपभोग किया जाता है। एसजीएसटी संग्रहण में प्रवृत्तियों को **तालिका 2.6 तथा चार्ट 2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: एसजीएसटी तथा प्राप्त किया गया मुआवजा

(₹ करोड़ में)

मास	प्रक्षेपित किया जाने वाला राजस्व	संग्रहित किया गया पूर्व जीएसटी कर *	संग्रहित किया गया एसजीएसटी	आईजीएसटी का अनंतिम विभाजन + आईजीएसटी निधि से तदर्थ निपटान	अन्य कर **	प्राप्त की गई कुल राशि	प्राप्त किया गया मुआवजा ***	जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में बैक टु बैक ऋण
अप्रैल 2021	3,070	17.48	1,339.30	949.77	0.03	2,306.58	11,132.81	
मई 2021	3,070	29.47	523.45	366.98	0.01	919.91		
जून 2021	3,070	(-) 0.44	468.97	366.51	0.06	835.10		
जुलाई 2021	3,070	(-) 5.58	872.13	637.41	0.05	1,504.01		2,921.30
अगस्त 2021	3,070	24.28	808.27	1,337.85	0.01	2,170.41		
सितम्बर 2021	3,070	(-) 1.96	701.10	1,127.32	0.07	1,826.53		
अक्तूबर 2021	3,070	2.91	907.50	848.97	0.03	1,759.41		3,271.37
नवम्बर 2021	3,070	11.11	979.75	1,011.18	0.01	2,002.05		
दिसम्बर 2021	3,070	0.27	859.31	1,054.35	0.04	1,913.97		
जनवरी 2022	3,070	8.71	1,047.07	1,856.08	0.04	2,911.90		
फरवरी 2022	3,070	3.48	857.86	817.31	0.05	1,678.70		
मार्च 2022	3,070	(-) 4.71	900.14	1,624.85	0.11	2,520.39		
कुल	**36,840**	**85.02**	**10,264.85**	**11,998.58**	**0.51**	**22,348.96**	**11,132.81**	**6,192.67**

* पैट्रोलियम तथा शराब को छोड़कर वैट एवं सीएसटी सम्मिलित है।

** अन्य कर में मनोरंजन कर, केबल कर, लॉटरी, शर्त, सट्टेबाजी कर तथा दवाई एवं टॉयलेट सामग्री पर उत्पाद शुल्क इत्यादि शामिल है।

*** रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखां 2021-22 के दौरान जीएसटी के कार्यान्यन से उत्पन्न राजस्व की हानि के मुआवजे के कारण ₹ 6,445.96 करोड़ प्राप्त हुए थे। इसमें ₹ 2,543.15 करोड़ वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹ 7,230 करोड़ वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त हुए थे। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्राप्त मुआवजा था (₹ 6,445.96 करोड़ - ₹ 2,543.15 करोड़ + ₹ 7,230.00 करोड़ = ₹ 11,132.81 करोड़)।

वर्ष 2021-22 के लिए प्रक्षेपित राजस्व 14 *प्रतिशत* की वार्षिक वृद्धि के अनुसार ₹ 36,840 करोड़ था। इसके विपरीत वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी के अंतर्गत रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां ₹ 22,263.43 करोड़ थी और प्राप्त किया गया मुआवजा ₹ 11,132.81 करोड था तथा मुआवजे के प्रति बैक टू बैक ऋण[8] ₹ 6,192.67 करोड़ था जैसा कि **तालिका 2.6** में विस्तृत किया गया है।

चार्ट 2.7: एसजीएसटी संग्रहण में प्रवृत्तियां

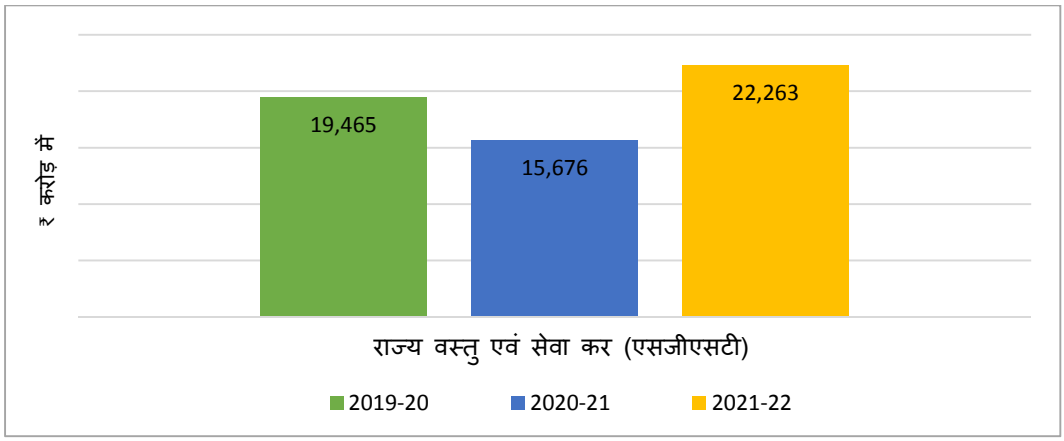

[8] जीएसटी मुआवजे के लिए विकल्प के रूप में भा.स. द्वारा राज्यों को संचारित (अगस्त 2020) की गई ऋण नियम की शर्तों के अनुसार, 'जीएसटी मुआवजा निधि' में सैस के संग्रहण से ऋण का भुगतान किया जाना चाहिए तथा भुगतान का दायित्व राज्य के किसी अन्य संसाधनों से नहीं मिलना चाहिए।

एसजीएसटी संग्रहण 2020-21 में ₹ 15,676 करोड़ से ₹ 6,587 करोड़ (42.02 *प्रतिशत*) बढ़ कर 2021-22 में ₹ 22,263 करोड़ हो गया।

वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने कहा (सितम्बर 2022) कि एसजीएसटी संग्रहण बढ़ गया क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए गए थे।

एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर (आईजीएसटी)

रा.रा.क्षे.दि.स., भारत सरकार से आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी के उपयोग किए जाने के आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित आईजीएसटी के निपटान के प्रति निधियां प्राप्त करती है जिसको एसजीएसटी के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। 2021-22 के दौरान एसजीएसटी के तहत प्राप्त ₹ 22,263.43 करोड़ में से ₹ 11,999 करोड़ आईजीएसटी के रूप में प्राप्त हुए थे। वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान प्राप्त की गई निधियों के विवरणों को **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए आईजीएसटी प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22
इनपुट टैक्स क्रेडिट	3,501	2,626	3,761
आईजीएसटी का विभाजन (कर)	4,239	3,454	6,820
आईजीएसटी का विभाजन (ब्याज)	0	0	5
आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन	157	1,593	1,413
कुल	**7,897**	**7,673**	**11,999**

राजस्व के बकाये

राजस्व के बकाये, सरकार द्वारा राजस्व की वसूली में की गई देरी को दर्शाता है। व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार मुख्य शीर्ष 0040 - बिक्री पर कर, व्यापार आदि के अंतर्गत 31 मार्च 2022 तक राजस्व बकायों के विवरणों की सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों से अधिक के लिए ₹ 71,475 करोड़ की राशि में से ₹ 25,248 करोड़ की राशि बकाया थी।

निर्धारण के बकाये

निर्धारण के बकाये संभावित राजस्व को दर्शाते हैं जो कि विलम्बित निर्धारण के कारण अवरूद्ध थे। वर्ष के आरंभ में लम्बित मामले, निर्धारण के लिए देय मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिमकरण किए जाने के लिए लंबित मामलों की संख्या **तालिका 2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8 निर्धारण के बकाये

राजस्व शीर्ष	मामलों के प्रारंभिक शेष	2021-22 के दौरान निर्धारण के लिए देय नये मामले	कुल निर्धारण देय	2021-22 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निपटान की प्रतिशतता
0040 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर	0	1,89,830	1,89,830	1,89,830	0	100

स्रोत: व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन, रिफंड के मामले इत्यादि का विवरण

उत्पाद तथा कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले, अंतिमकरण किए गए मामले तथा उद्घृत किए गए अतिरिक्त कर हेतु मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण के प्रयत्नों का महत्वपूर्ण संकेतक है। रिफंड के मामले के निपटान में तत्परता विभाग के निष्पादन का महत्वपूर्ण संकेतक है। वर्ष 2021-22 के लिए पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले तथा रिफंड मामलों के विवरणों को **तालिका 2.9** तथा **तालिका 2.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: पता लगाए गए कर के अपवंचन

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 तक लंबित मामले	2021-22 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	कुल मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी की गई तथा अतिरिक्त मांग के साथ उदघृत किए गए जुर्माने इत्यादि		31 मार्च 2022 तक अपील के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
जीएसटी	236	1,517	1,753	1,488	367.51	265

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

तालिका 2.10: वर्ष 2021-22 के लिए रिफंड मामलों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	जीएसटी		बिक्री कर /वैट	
		मामलों की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	5,266	1,312.37	14,671	1,280.60
2	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	30,652	4,789.85	6	4.76
3	वर्ष के दौरान किए गए रिफंड	21,466*	2,610.32	3,385	122.37
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिभागी/समायोजित रिफंड		772.69	1,396	12.00
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	5,507#	1,109.82#	11,292	1,150.99

* विभाग के पास उपलब्ध मामलों (रिफंड किया गया/ अस्वीकृत) की संख्या के लिए कोई अलग से कॉलम नही है।

जीएसटी और व्यापार एवं कर विभाग ने कहा (अगस्त 2022) कि जीएसटीएन पोर्टल में दर्शाए गए शेष बकाया दावों में अंतर था तथा इसकी अंकगणितीय गणना के लिए जीएसटीएन से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ, विभागीय प्राप्तियां इत्यादि शामिल होते हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के गैर-कर राजस्व तथा प्रवृत्तियों के संघटकों को **तालिका 2.11** तथा **चार्ट 2.8** में दिया गया है।

तालिका 2.11: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के गैर-कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ब्याज प्राप्तियां	**396**	**113**	**404**	**468**	**356**
लाभांश तथा लाभ	**16**	**15**	**16**	**10**	**90**
अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियां	**354**	**516**	**677**	**502**	**381**
क. लोक निर्माण	14	18	13	43	23
ख. शिक्षा	26	29	27	79	10
ग. चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	89	103	112	95	97
घ. उर्जा	26	53	87	33	52
ङ. अन्य इत्यादि	199	313	438	252	199
कुल गैर-कर राजस्व	**766**	**644**	**1,097**	**980**	**827**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

गैर-कर राजस्व 2017-18 में ₹ 766 करोड़ से 7.96 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में ₹ 827 करोड़ हो गया। गैर-कर राजस्व जो कि 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियां (₹ 49,313 करोड़) का 1.68 प्रतिशत था, पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 153 करोड़ (15.61 प्रतिशत) तक कम हो गया जो मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों में ₹ 112 करोड़ (23.93 प्रतिशत) की कमी और गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में ₹ 121 करोड़ (24.10 प्रतिशत) की कमी के कारण हुआ।

वर्ष 2021-22 के लिए पु.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं गैर-कर राजस्व **तालिका 2.12** में दिखाया गया है।

तालिका 2.12: वर्ष 2021-22 के लिए पु.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	पु.अ. (बजट प्राप्तियां 2021-22 के अनुसार)	वास्तविक	पु.अ. और वास्तविक के बीच अन्तर	प्रतिशतता की पु.अ.के. (+) अधिक्य (-) कमी
ब्याज प्राप्तियां	424	356	(-) 68	(-) 16.04
लाभांश और लाभ	13	90	(+)77	(+)592.31
अन्य गैर-कर प्राप्तियां	363	381	(+) 18	(+)4.96
कुल	**800**	**827**	**(+) 27**	**(+) 3.38**

2021-22 के दौरान, ब्याज प्राप्ति में कमी अन्य ब्याज प्राप्तियों में गिरावट के कारण थी और लाभांश और मुनाफे में अधिकता पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभांश में प्राप्त वृद्धि (811 *प्रतिशत*) के कारण थीं।

चार्ट 2.8: गैर-कर राजस्व शीर्ष में प्रवृत्तियां

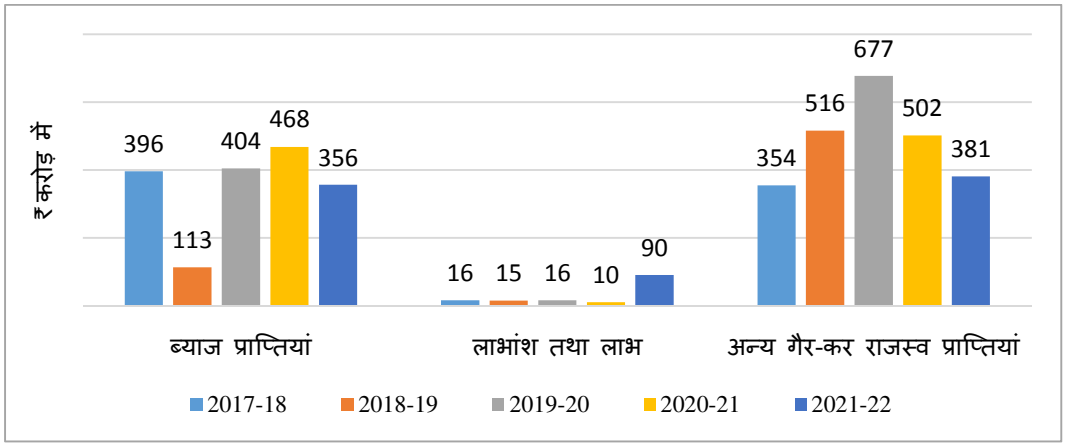

चार्ट 2.8 से स्पष्ट है कि अन्य गैर-कर प्राप्तियां 2017-18 से 2021-22 के दौरान ₹ 27 करोड़ (7.63 *प्रतिशत*) तक बढ़ गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान अन्य गैर-कर/राजस्व प्राप्तियों में ₹ 121 करोड़ (24.10 *प्रतिशत)* की कमी मुख्य रूप से सामान्य सेवाओं के अंतर्गत शीर्ष 'लोक निर्माण कार्य तथा सामाजिक सेवायें' जैसे शिक्षा तथा शहरी विकास में गैर-कर प्राप्तियों में कमी के कारण हुई थी। अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: 'अन्य गैर-कर राजस्व' के शीर्षों में प्रवृत्तियां

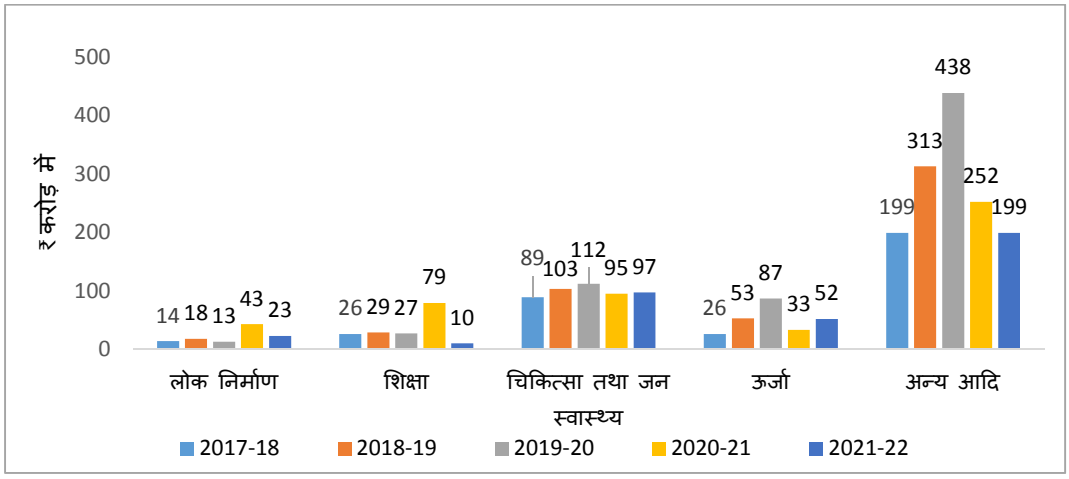

2.3.2.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान राज्यों को सहायता अनुदान (स.अ.) उपलब्ध कराए जाने के लिए योजना तथा गैर-योजना वर्गीकरण को बंद कर दिया था। 2021-22 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. को भा.स. से ₹ 9,070 करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले ₹ 8,467 करोड़ (93.35 *प्रतिशत*) का सहायता अनुदान (स.अ.) प्राप्त हुआ। भा.स. से स.अ. के विवरण **तालिका 2.13** में है।

तालिका 2.13: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ (के.प्रा.यो.)	527.27	807.03	1,169.48	1,441.46	991.93
सामान्य केन्द्रीय योजना सहायता (ब्लॉक अनुदान)	412.98	449.99	472.00	626.00	626.00
अन्य अनुदान	706.30	79.75	70.56	-	3.43
केन्द्रीय करों में अंश के बदले अनुदान	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
जीएसटी के कार्यान्यवन से उत्थित राजस्व की हानि का मुआवजा	157.00	4,182.00	7,436.00	5,521.65	6,445.96
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (रा.सा.स.का.)	54.59	रा.सा.स.का. योजना 2018-19 से के.प्रा.यो. में शामिल कर दी गई।			
केन्द्रीय सड़क निधि (के.स.नि.)	1.16	-	-	-	-
अन्य अनुदान (योजना)	-	-	-	-	-
दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया फंड में योगदान	-	-	-	161.49	-
राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान	-	-	-	3,383.00	-
प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता के लिए अग्रिम वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान	-	-	-	-	75.00
कुल	**2,184.30**	**5,843.77**	**9,473.04**	**11,458.60**	**8,467.32**
स.अ. से राजस्व प्राप्तियों के प्रति स.अ. की प्रतिशतता	**5.65**	**13.55**	**20.10**	**27.37**	**17.17**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भा.स. से स.अ. 2017-18 में ₹ 2,184.30 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 8,467.32 करोड़ (287.68 *प्रतिशत*) तक हो गया। भा.स. से स.अ. पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में ₹ 2,991.28 करोड़ (26.11 *प्रतिशत*) तक घट गया। यह मुख्यतः 2021-22 के दौरान 'राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान' के तहत शून्य प्राप्ति के कारण था। दिल्ली, केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत आच्छादित नहीं है और केन्द्रीय कर तथा शुल्कों के राज्य अंश के बदले में केवल अनुदान प्राप्त करता है जो कि 2001-2002 से ₹ 325 करोड़ तक स्थिर हो गये हैं, यद्यपि केन्द्रीय कर संग्रहण 2001-02 से पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के लिए स.अ. में प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: सहायता अनुदान में प्रवृत्ति

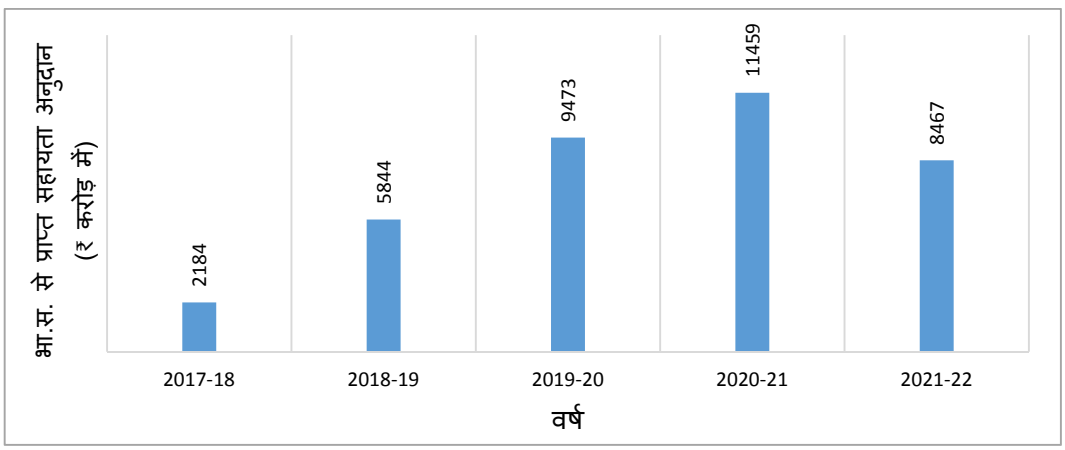

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग को सत्यापित करने के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए पांच योजनाओं का चयन किया है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैः

(क) आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीएसएचएम) रा.रा.क्षे.दि.स. के तहत दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन, ने आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज वाली केंद्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार (भा.स.) से 2021-22 के दौरान ₹ 44.01 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, उक्त योजना के तहत पिछले वर्ष (2020-21) का कुल अव्ययित शेष ₹ 245.07 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 309.22 करोड़ (₹ 20.14 करोड़ के राज्य के अंश सहित) की कुल धनराशि के प्रति ₹ 276.83 करोड़ का व्यय डीएसएचएम द्वारा किया गया था। 31 मार्च 2022 तक ₹ 32.39 करोड़ की धनराशि अव्ययित रखी थी (2021-22 के दौरान प्राप्त किए गए ₹ 4.82 करोड़ की ब्याज प्रप्तियां शामिल नहीं थीं)। इसके अतिरिक्त, डीएसएचएम ने वर्ष 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत किया है।

डीएसएचएम ने कहा (अगस्त 2022) कि कोविड-19 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अधिकांश सहायता अनुदान, जोकि भारत सरकार द्वारा वर्ष की समप्ति में जारी किया गया था जिसके कारण निधियों का 100 *प्रतिशत* उपयोग नही हो पाया था।

इसके अतिरिक्त, जीएफआर 230(8) के अनुसार किसी भी गारंटी संस्था को जारी की गई सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के प्रति सभी ब्याज या अन्य आय को अनिवार्य रूप से खातों को अंतिमरूप देने के तुरंत बाद भारत के समेकित कोष में भेजा जाना चाहिए। हालांकि, भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ₹ 4.82 करोड़ का ब्याज भारत सरकार के खाते में नहीं भेजा गया।

दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन का जवाब प्रतीक्षित था (दिसंबर 2022)।

(ख) समग्र शिक्षा:

(i) शिक्षा निदेशालय (शि.नि.) ने समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना (i) आरंभिक शिक्षा (₹ 121.27 करोड़), (ii) माध्यमिक शिक्षा (₹ 20.75 करोड़) तथा (iii) अध्यापक शिक्षा (₹ 3.86 करोड़) के तहत स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग ने शिक्षा मंत्रालय (शि.मं.) भारत सरकार (भा.स.) से 2021-22 के दौरान

₹ 145.88 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया। पिछले वर्ष (2020-21) का ₹ 88.45 करोड़ (₹ 147.42 करोड़ का 60 प्रतिशत) का अव्ययित शेष भी था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 234.33 करोड़ की कुल धनराशि के प्रति, शि.नि. द्वारा ₹ 188.38 करोड़ (₹ 313.97 करोड़ का 60 प्रतिशत) का व्यय किया गया जिसके लिए शि.मं, भारत सरकार को अनंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत किया गया था। 31 मार्च 2022 तक ₹ 45.95 करोड़ की अव्ययित धनराशि शेष थी। अव्ययित शेष मुख्यरूप से वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत मे अर्थात 30 मार्च 2022 को शि.मं. द्वारा ₹ 33.28 करोड़ की धनराशि जारी करने के कारण था।

शिक्षा निदेशालय ने कहा (अगस्त 2022) कि शि.मं. ने अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान शेष राशि का उपयोग करने की अनुमति दी थी और इसे शि.मं. द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान जारी करने में समायोजित किया जाएगा।

(ii) सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 239 के अनुसार "जब केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय अनुदान दिये जाते हैं, तो योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सा.वि.नि.-12सी के प्रारूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र को योजना/वित्त सचिव को विनियमित करने वाले डिवीजन के प्रशासनिक सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।"

हालांकि, शि.नि. द्वारा प्रस्तुत अंनतिम उ.प्र. उक्त नियम का उल्लंघन करते हुए निर्धारित प्रारूप में नहीं था।

शि.नि. ने लेखापरीक्षा को अंतिम उ.प्र. की प्रति इस आधार पर प्रस्तुत नहीं की (सितंबर 2022) कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए समग्र शिक्षा-दिल्ली की वैधानिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाधीन थी और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अंतिम लेखापरीक्षित उ.प्र. सांविधिक लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) आंगनबाड़ी सेवा योजना:

महिला एवं बाल विकास विभाग (डी.डब्ल्यू.सी.डी.), रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2021-22 के दौरान आंगनबाड़ी सेवा योजना की केंद्रीय प्रायोजित योजना (i) अनुपूरक पोषण कार्यक्रम ₹ 78.25 करोड़, (ii) सामान्य ₹ 54.66 करोड़ के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी), भारत सरकार (भा.स.) से ₹ 132.91 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा से पता चला कि कुल धनराशि ₹ 132.91 करोड़ के प्रति डीडब्ल्यूसीडी द्वारा ₹ 157.48 करोड़ (2020-21 के दौरान ₹ 37.85 करोड़ के अधिक व्यय सहित)

का व्यय हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप 2021-22 के दौरान ₹ 24.57 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

डीडब्ल्यूसीडी ने अधिक व्यय के कारणों के लिए भारत सरकार से समय पर प्राप्त न होने वाली निधियों और राज्य के हिस्से से किए जा रहे भुगतानों को जिम्मेदार ठहराया (सितम्बर 2022)।

(घ) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीटीई) ने वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के कार्यान्वयन हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत ₹ 19.92 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया, जिसमें पिछले वर्ष की ₹ 0.18 करोड़ की अव्ययित राशि भी थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीटीटीई ने ₹ 20.10 करोड़[9] की कुल उपलब्धता के प्रति केवल ₹ 9.71 करोड़ का व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.73[10] करोड़ (48.39 प्रतिशत) की बचत हुई।

बचत मुख्यरूप से मार्च 2022 के महीने में भारत सरकार से ₹ 14.30 करोड़ (₹ 19.92 करोड़ में से) की धनराशि प्राप्त करने के कारण हुई थी।

(ड) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) तथा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी):

(i) प्रधान लेखा कार्यालय, (पीएओ) रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार, शहरी विकास विभाग (यू.डी.) ने 2021-22 के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) अर्थात् स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) (₹ 193.82 करोड़) और अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (ए.एम.आर.यू.टी.) (₹ 206.20 करोड़) के तहत ₹ 400.02 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया।

हालांकि, श.वि.वि. द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, श.वि.वि. ने ₹ 399.82 करोड़ की राशि का कुल अनुदान प्राप्त किया था (एसबीएम के अधीन ₹ 193.62 करोड़ तथा एएमआरयूटी के अधीन ₹ 206.20 करोड़)।

अतः, केंद्र से प्राप्त किए गए सहायता अनुदान के लिए पीएओ, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में ₹ 0.20 करोड़ का अन्तर है, जिसको समाशोधन कराए जाने की आवश्यकता है।

---

[9] ₹ 0.18 करोड़ (2020-21) का अव्ययित व्यय शामिल है।

[10] 2021-22 के दौरान डीटीटीई द्वारा ₹ 0.66 करोड़ के सहायता अनुदान की वापसी पर विचार करने के बाद

श.वि.वि. ने कहा (अगस्त 2022) कि 2021-22 के दौरान भा.स. से प्राप्त किए गए ₹ 20,620.20 लाख के स.अ. के प्रति ₹ 20,620 लाख स्टेट नोडल लेखा (एन.एन.ए) को स्थानांतरित किए गए तथा ₹ 20,000 की शेष राशि स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन था।

भा.स. से एएमआरयूटी योजना के लिए 2016-2022 अवधि के दौरान प्राप्त की गई ₹ 518.48 करोड़ की कुल धनराशि के प्रति ₹ 357.89 करोड़ का उपयोग किया गया था, जैसाकि श.वि.वि. द्वारा भा.स. को संचयी आधार पर प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र से प्रमाणित है। एएमआरयुटी योजना के अंतर्गत ₹ 160.59 करोड़ (31 *प्रतिशत*) की संचयी बचत हुई।

एस.बी.एम. योजना के संबंध में 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 193.62 करोड़ को अगामी वित्त वर्ष अर्थात् 2022-23 में कार्यान्वयन एजेंसियों को आगे संचरण के लिए श.वि.वि. के एकल नोडल खाते (एसएनए) में स्थानांतरित कर दिया गया था (क्योंकि इनमें से अधिकांश प्राप्तियां मार्च 2022 के अंतिम सप्ताह में स्वीकृत की गई थी) एसबीएम योजना के संबंध में श.वि. द्वारा लेखापरीक्षा को कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके कारण वास्तविक व्यय और अव्ययित शेष के विवरण सत्यापित नहीं किए जा सके।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां (गैर-ऋण) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम की प्राप्तियां (ऋण) शामिल है। पूंजीगत प्राप्तियों का पांच वर्षों की अवधि (2017-18 से 2021-22) का विस्तार पूर्वक विवरण **तालिका 2.14** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे.दि. सरकार की प्राप्तियों के साधन	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूंजीगत प्राप्तियां (ऋण तथा गैर-ऋण)	**2,597**	**4,524**	**5,588**	**15,996**	**11,816**
भा.स. से ऋण तथा अग्रिम (ऋण)	**1,906**	**2,880**	**4,765**	**15,365**	**11,193**
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां (गैर-ऋण)	**691**	**1,644**	**823**	**631**	**623**
आंतरिक ऋण[11]	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
वृद्धि दर	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर	12.38	51.10	65.45	99.37[12]	(-)47.37[13]
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर	225.94	137.92	(-)49.94	(-)23.33	(-)1.27
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर	10.03	8.92	7.54	(-)1.09	17.65
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	36.11	74.20	23.52	186.26	(-)26.13

स्रोत: संबंधित वर्षों के आर्थिक तथा सांख्यिकी व वित्त लेखा निदेशालय

[11] इसमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के आंतरिक ऋण नहीं है।

[12] ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ के जीएसटी मुआवजे के बाद पहुंचे।

[13] ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 6,193 करोड़ के जीएसटी मुआवजे के बाद पहुंचे।

ऋण पूंजीगत प्राप्तियां अर्थात् भारत सरकार से ऋण और अग्रिम 2020-21 में ₹ 15,365 करोड़ से 47.37 *प्रतिशत* घटकर 2021-22 में ₹ 11,193 करोड़ हो गई, जो मुख्यतः छोटी बचत के शेयर के प्रति 2021-22 के दौरान भा.स. से संवितरण 'शून्य' होने के कारण थी। इसी प्रकार, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां अर्थात् ऋण और अग्रिम की वसूलियां भी 2020-21 में ₹ 631 करोड़ से 1.27 *प्रतिशत* घटकर 2021-22 में ₹ 623 करोड़ हो गई।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व कानूनों के ढांचे के अंतर्गत व्यय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य में चल रहे वित्तीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया पूंजीगत बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में व्यय की लागत पर नहीं है। यह पैराग्राफ उप-पैराग्राफ के साथ राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण करता है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि तथा संरचना

पिछले पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) की तुलना में कुल व्यय की प्रवृत्तियां तथा संरचना को **तालिका 2.15** तथा **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: कुल व्यय तथा इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु.व्य.)[14]	39,245	42,520	48,375	49,203	56,957
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043
पूंजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	3,243	3,266	5,472	4,699	8,311
ऋण तथा अग्रिम	2,248	2,402	3,266	4,090	2,603
स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में					
कु.व्य./स.रा.घ.उ.	5.79	5.76	6.09	6.27	6.16
रा.व्य./स.रा.घ.उ.	4.98	4.99	4.99	5.15	4.98
पूँ.व्य./स.रा.घ.उ.	0.48	0.44	0.69	0.60	0.90
ऋण तथा अग्रिम/ स.रा.घ.उ.	0.33	0.33	0.41	0.52	0.28

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[14] सार्वजनिक ऋण के भुगतान अलावा

चार्ट 2.11: कुल व्यय: प्रवृत्तियां और संरचना

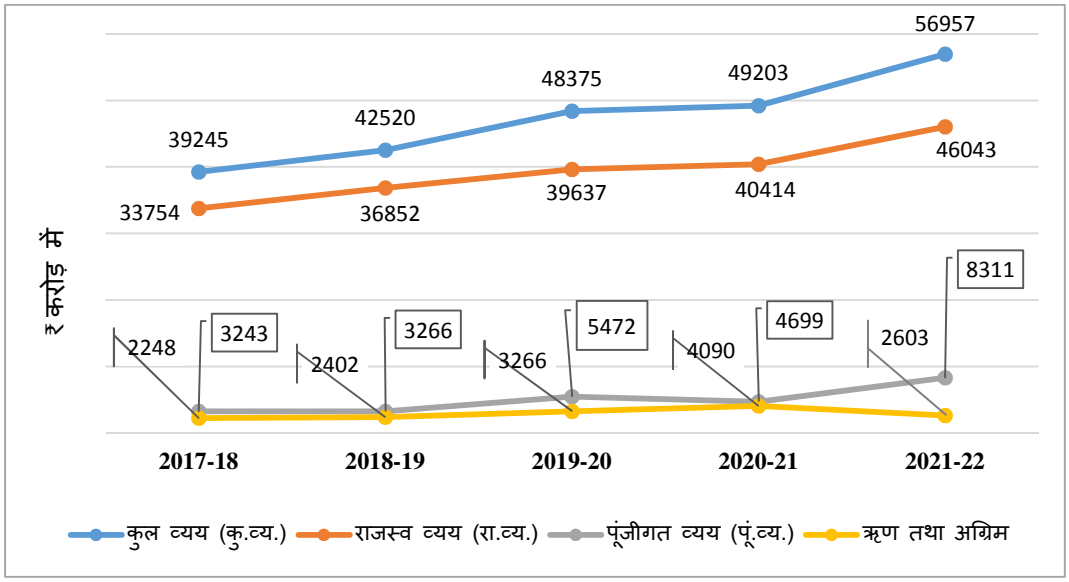

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.11 से यह देखा जा सकता है कि कुल व्यय 2017-18 के दौरान ₹ 39,245 करोड़ 7.73 *प्रतिशत* की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से लगातार बढ़कर 2021-22 के दौरान ₹ 56,957 करोड़ हो गया।

इसी प्रकार, राजस्व व्यय 2017-18 के दौरान ₹ 33,754 करोड़ से 6.41 *प्रतिशत की* सीएजीआर पर लगातार बढ़कर 2021-22 के दौरान ₹ 46,043 करोड़ हो गया। पूंजीगत व्यय वर्ष के अंतर में उतार चढ़ाव प्रदर्शित किया जो ₹ 3,243 करोड़ (2017-18) से लेकर ₹ 4,699 करोड़ (2020-21) तक था, लेकिन 2021-22 में ₹ 3,612 करोड़ (77 *प्रतिशत*) से ₹ 8,311 करोड़ तक की लगातार वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में मुख्यरूप से शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति (₹ 1,027 करोड़), परिवहन (₹ 959 करोड़), चिकित्सा तथा जन स्वास्थय (₹ 920 करोड़) पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण थी।

इसके अतिरिक्त, ऋण और अग्रिम का संवितरण 2017-18 से 2020-21 के दौरान ₹ 2,248 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,090 करोड़ हो गया। लेकिन 2021-22 में ₹ 1,487 करोड़ (36 *प्रतिशत*) की विशेष रूप से कमी आई और यह ₹ 2,603 करोड़ रहा। पिछले वर्ष की तुलना में कमी मुख्य रूप से जल आपूर्ति और स्वच्छता ₹ 1,212 करोड़ (54 *प्रतिशत*) के लिए ऋण और अग्रिम के संवितरण में गिरावट के कारण थी।

व्यय के संघटकों के अंश में प्रवृत्तियां

कुल व्यय के संघटकों के अंश में प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.12** में दर्शाया गया है। राजस्व व्यय कुल व्यय का 80.84 *प्रतिशत* था जबकि वर्ष 2021-22 के लिए

पूंजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों का संवितरण क्रमश: 14.59 *प्रतिशत* तथा 4.57 *प्रतिशत* था।

चार्ट 2.12: कुल व्यय: इनके संघटकों के अंश में प्रवृत्तियां

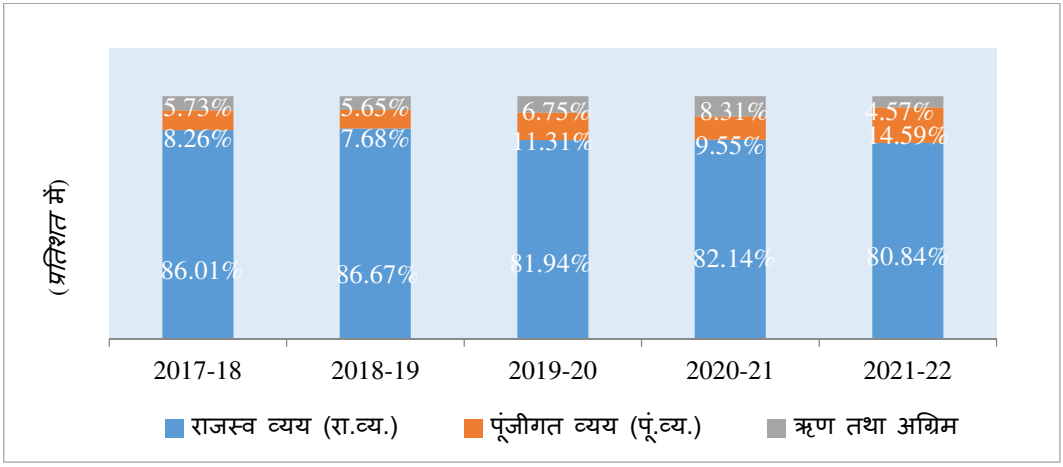

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित अंश

व्यय के विभिन क्षेत्रों के संबधित अंशों को **तालिका 2.16** में दर्शाया गया है। कुल व्यय (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर) में सामान्य सेवाओं के अंश 2020-21 में 13.29 *प्रतिशत* से घटकर 2021-22 में 12.86 *प्रतिशत* हो गए थे।

तालिका 2.16: कुल व्यय (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर) में से व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित अंश

(प्रतिशत में)

मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएं[15]	18.92	18.31	15.45	13.29	12.86
सामाजिक सेवाएं[16]	53.96	55.08	53.16	51.55	55.05
आर्थिक सेवाएं[17]	18.61	15.40	16.62	20.93	21.42
अन्य (स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान एवं अंशदान तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के संस्थानों, विभागों इत्यादि के ऋण एवं अग्रिम)	8.51	11.21	14.77	14.23	10.66

सामाजिक सेवाओं के अंश 2020-21 में 51.55 *प्रतिशत* से बढ़ कर 2021-22 में 55.05 *प्रतिशत* हो गए। आर्थिक सेवाओं के अंश भी 2020-21 में 20.93 *प्रतिशत* से मामूली रूप से बढ़कर 2021-22 में 21.42 *प्रतिशत* हो गए। ऋणों तथा अग्रिमों और

[15] प्रशासनिक तथा राजकोषीय सेवायें जैसे भूमि राजस्व, उत्पाद तथा जीएसटी, पुलिस, जेल, लोक निर्माण कार्य आदि शामिल है।

[16] शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह, शहरी विकास, श्रम कल्याण, सामाजिक कल्याण आदि शामिल है।

[17] कृषि तथा संबंधित गतिविधि, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण इत्यादि शामिल है।

स्थानीय निकायों के अनुदानों के संवितरण पर कुल व्यय 2020-21 में 14.23 *प्रतिशत* से घटकर 2021-22 में 10.66 *प्रतिशत* हो गया। कुल व्यय गतिविधियों को **चार्ट 2.13** में दर्शाया गया है।

चार्ट: 2.13: कुल व्यय (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर) - गतिविधियों द्वारा व्यय

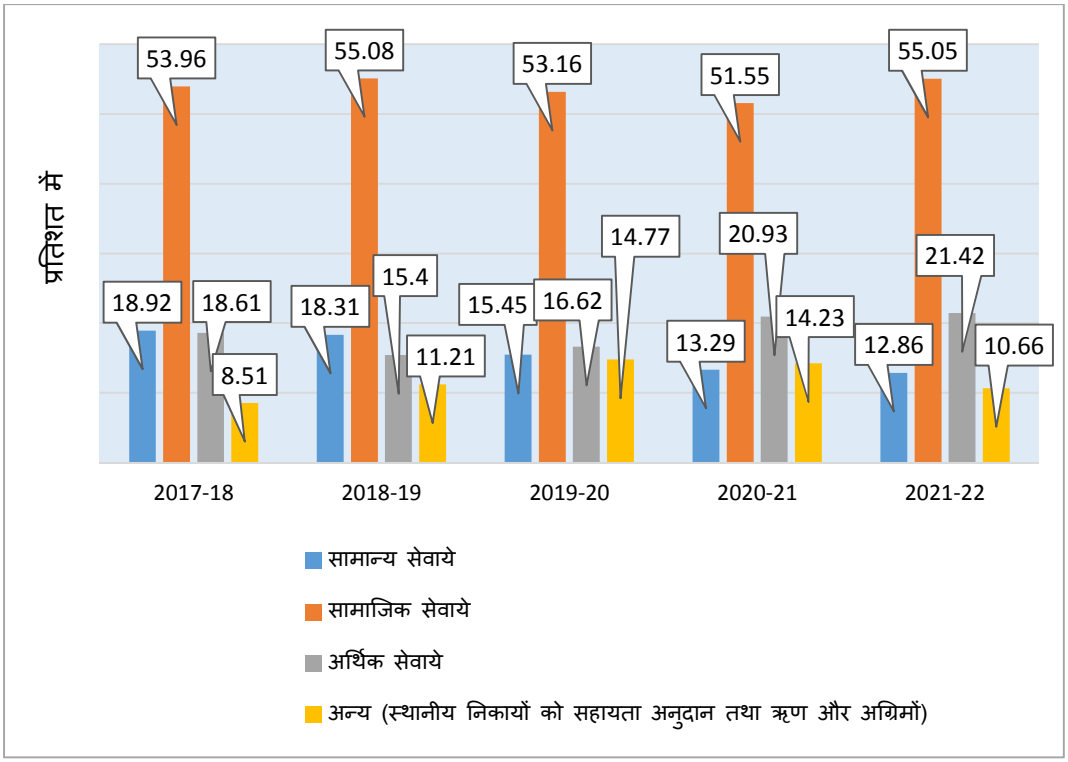

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने तथा पिछले अनुबंधों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, राज्य की अवसंरचना तथा सेवा नेटवर्क की किसी वृद्धि में इसका कोई परिणाम नहीं होता। **तालिका 2.17** पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) की तुलना में राजस्व व्यय को प्रस्तुत करती है। राजस्व व्यय 2017-18 में ₹ 33,754 करोड़ से 36.41 *प्रतिशत* बढ़कर 2021-22 में ₹ 46,043 करोड़ हो गया। स.रा.घ.उ. की *प्रतिशतता* के रूप में, राजस्व व्यय 2017-18 एवं 2021-22 में क्रमशः 4.98 *प्रतिशत* रहा। राजस्व व्यय 2020-21 में ₹ 40,414 करोड़ से 13.93 *प्रतिशत* बढ़कर 2021-22 में ₹ 46,043 करोड़ हो गया जो मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण 2020-21 में ₹ 8,514 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 9,328 करोड़ (9.56 *प्रतिशत*) तथा सामाजिक सेवाओं पर वृद्धि के कारण 2020-21 में ₹ 22,693 करोड़ से 2021-22 में ₹ 26,294 करोड़ (15.87 प्रतिशत) हो गया।

तालिका 2.17: राजस्व व्यय - मूल मापदंड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु.व्य.)	39,245	42,520	48,375	49,203	56,957
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043
पूर्व वर्ष में रा.व्य. में वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	15.19	9.18	7.56	1.96	13.93
राजस्व व्यय कु.व्य की प्रतिशतता के रूप में	86.01	86.67	81.94	82.14	80.84
स.रा.घ.उ. (2011-12 क्रम)	6,77,900	7,38,389	7,94,030	7,85,342	9,23,967
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	10.03	8.92	7.54	(-)1.09	17.65
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	4.98	4.99	4.99	5.15	4.98
राजस्व प्राप्तियों की *प्रतिशतता* के रूप में रा.व्य.	87.29	85.48	84.09	96.54	93.37
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्प्लावकता (अनुपात)	1.51	1.03	1.00	*	0.79
राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व व्यय उत्प्लावकता (अनुपात)	1.21	0.80	0.81	*	0.78

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* चूंकि, स.रा.घ.उ. की विकास दर नकारात्मक थी अतः उत्पलावकता की गणना नहीं की गई थी।

2021-22 अवधि के लिए राजस्व व्यय के क्षेत्र-वार संवितरण को **चार्ट 2.14** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.14: 2021-22 के लिए राजस्व व्यय के क्षेत्र-वार संवितरण (प्रतिशत में)

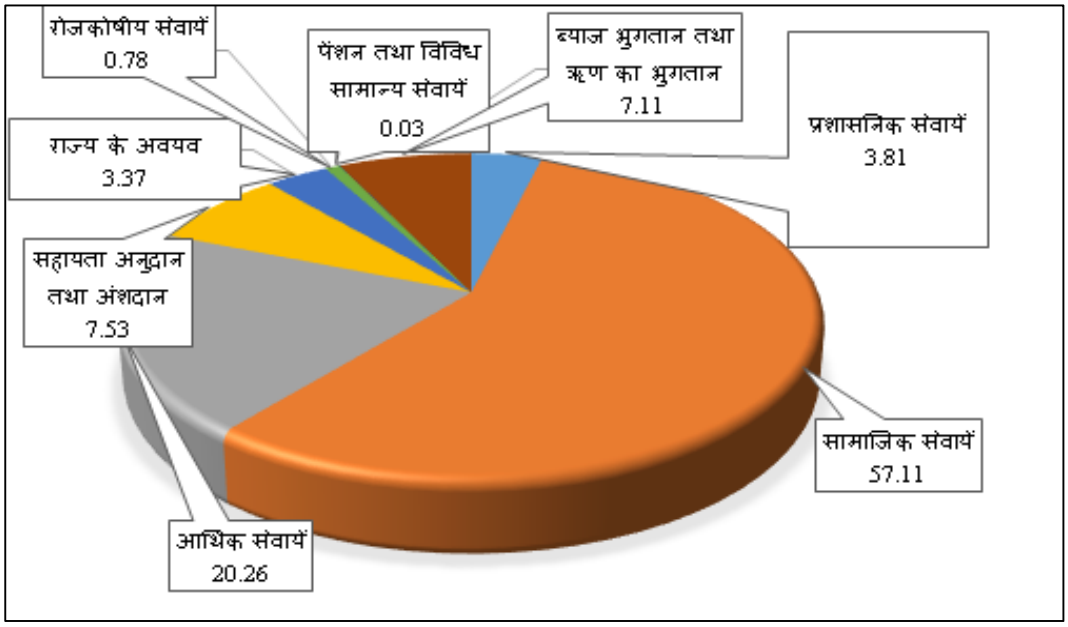

2.4.2.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

लेखों के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय में विभिन्नताओं को **तालिका 2.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.18: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान मुख्य शीर्षों की तुलना में राजस्व व्यय में विभिन्नताएं

(₹ करोड़ में)

लेखों के मुख्य शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि(+)/कमी (-) (*प्रतिशत* में)
2040-बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	39.80	19.97	(-) 49.82
2075-विविध सामान्य सेवायें	9.32	13.75	47.53
2215-जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	1891.57	1136.53	(-) 39.92
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछले वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण	51.14	191.47	274.40
2236-पोषण	151.42	0	(-) 100
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	6.21	5.78	(-) 6.92
2216-आवास	100.41	140.37	39.80
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7.50	9.09	21.20

राजस्व व्यय के मुख्य शीर्षों में *प्रतिशतता* के बदलाव दो वर्षों की अवधि की तुलना में भिन्नताएं दर्शाती है। शीर्ष '2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण' के अंतर्गत राजस्व व्यय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा पर व्यय (90 करोड़) में वृद्धि के कारण ₹ 140.33 करोड़ (274.40 प्रतिशत) की वृद्धि पिछले वर्ष से हुई है, जबकि '2236-पोषण' शीर्ष के तहत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 100 प्रतिशत की कमी आई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखा पर रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रतिबद्ध व्यय में वेतन और मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल है। इसका पहला प्रभार सरकारी संसाधनों पर है। प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए लचीलापन कम रहता है। प्रतिबद्ध व्यय के घटकों को **तालिका 2.19** में दर्शाया गया हैः

तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वेतन एवं मजदूरी	9,089.60	10,324.66	11,070.04	11810.19	12878.34
पेंशन पर व्यय*	3.84	3.31	3.56	2.67	3.28
ब्याज भुगतान	2,870.67	2,867.11	2,751.87	2873.83	3274.24
कुल	**11,964.11**	**13,195.08**	**13,825.47**	**14686.69**	**16155.86**
राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.) की *प्रतिशतता* के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	23.51	23.95	23.49	28.21	26.12
पेंशन पर व्यय	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ब्याज भुगतान	7.42	6.65	5.84	6.86	6.64
कुल	**30.94**	**30.61**	**29.34**	**35.08**	**32.77**

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व व्यय (रा.व्य.) की *प्रतिशतता* के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	26.93	28.02	27.93	29.22	27.97
पेंशन पर व्यय	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ब्याज भुगतान	8.50	7.78	6.94	7.11	7.11
कुल	**35.44**	**35.81**	**34.88**	**36.34**	**35.09**

* भा.स. द्वारा दिल्ली में केवल पूर्व विधायकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन एवं रा.रा.क्षे.दि.स. के कार्मिकों की पेंशन देयता वहन की जाती है।

वेतन एवं मजदूरी 2017-18 में ₹ 9,089.60 करोड़ से 41.68 *प्रतिशत* तक बढ़कर 2021-22 में ₹ 128,78.34 करोड़ तक हो गई। इसी प्रकार, ब्याज भुगतान 2017-18 में ₹ 2,870.67 करोड़ से 14.06 *प्रतिशत* तक बढ़कर 2021-22 में ₹ 3274.24 करोड़ तक हो गया।

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के घटक के अंश **चार्ट 2.15** में दर्शाये गये हैं।

चार्ट 2.15: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के घटक के अंश (*प्रतिशत* में)

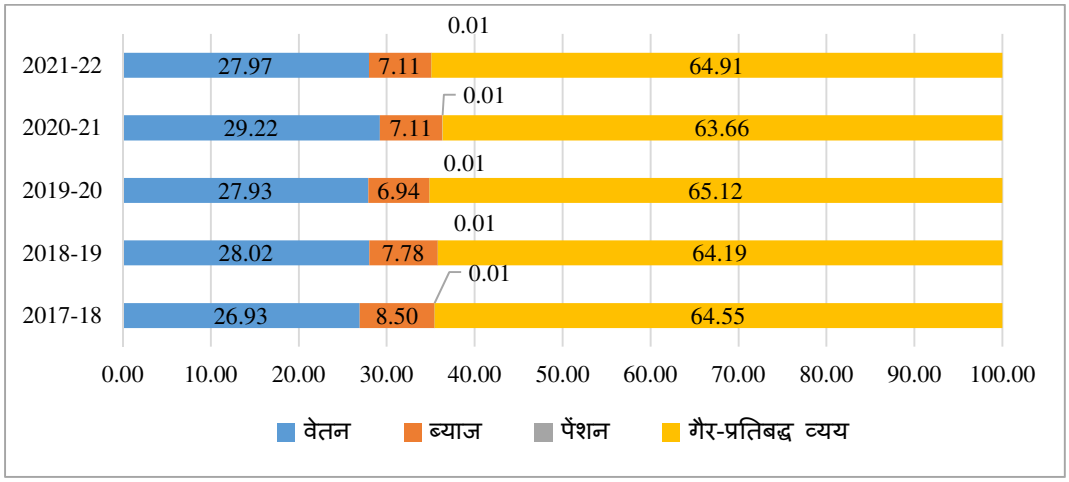

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन योजना

राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात् हुई है, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के पात्र हैं। योजना की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को अपने मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 *प्रतिशत* का अंशदान देना होता है, हालांकि 1 अप्रैल 2019 से नियोक्ता का अंशदान 10 *प्रतिशत* से बढ़ाकर 14 *प्रतिशत* कर दिया गया है। समस्त राशि नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक द्वारा निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

रा.रा.क्षे.दि.स. की पेंशन देनदारियां भारत सरकार द्वारा वहन की जाती हैं और एनपीएस तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के तहत नियोक्ताओं के योगदान के लिए वार्षिक बजट केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. को मुख्य शीर्ष

'2071- पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ' के तहत आवंटित किया जाता है, जो बाद में एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक में आवश्यक धनराशि जमा करता है।

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2021-22 के दौरान, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारियों के अंशदान के ₹ 364.56 करोड़ तथा नियोक्ताओं के अंशदान के ₹ 506.05 करोड़ के प्रति कुल ₹ 870.61 करोड़ एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक में जमा कराये गये थे। इस प्रकार, एन.पी.एस. के अंतर्गत 2021-22 के दौरान कार्मिकों के साथ-साथ नियोक्ताओं के प्रति कोई बकाया नहीं था।

2.4.2.4 सब्सिडी

रा.रा.क्षे.दि.स., शिक्षा अधिकार अधिनियम इत्यादि के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली जल बोर्ड तथा डिस्कॉमस के उपभोक्ताओं को डी.टी.सी./कलस्टर बसों द्वारा महिला बस यात्रियों के लिए सब्सिडी देती है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सब्सिडी पर व्यय को **तालिका 2.20** में दिखाया गया है। सब्सिडी पर व्यय 2017-18 में ₹ 2,497 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,690 करोड़ (87.83 *प्रतिशत*) हो गया। 2021-22 में सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 12.28 *प्रतिशत* तक बढ़ गया।

तालिका 2.20: 2017-18 से 2021-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सब्सिडी	2,497	2,533	3,593	4,177	4,690
राजस्व प्राप्तियां	38,667	43,113	47,136	41,864	49,313
राजस्व व्यय	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043
राजस्व प्राप्तियों की *प्रतिशतता* के रूप में सब्सिडी (*प्रतिशतता* में)	6.46	5.88	7.62	9.98	9.51
राजस्व व्यय की *प्रतिशतता* के रूप में सब्सिडी (*प्रतिशत* में)	7.40	6.87	9.06	10.34	10.19

चार्ट 2.16: सब्सिडी की प्रवृतियां

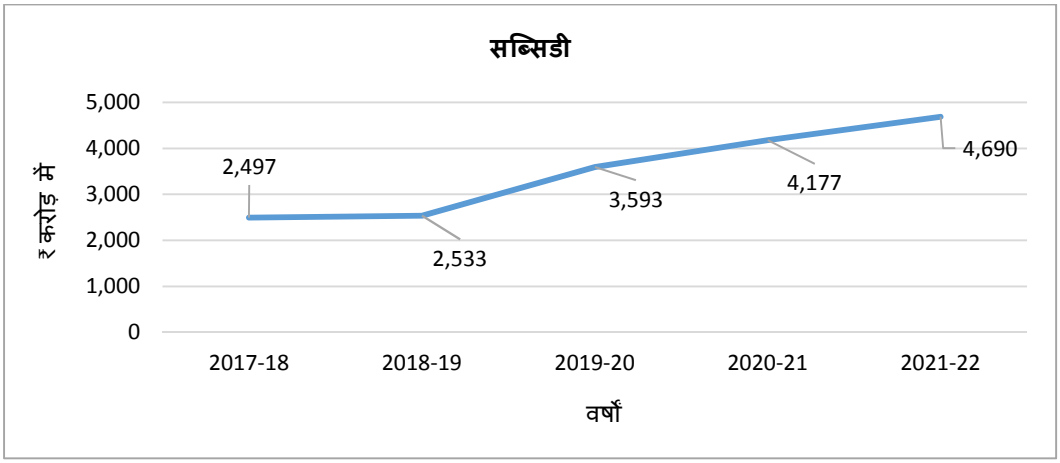

राजस्व प्राप्तियों की *प्रतिशतता* के रूप में सब्सिडी 2020-21 में 9.98 *प्रतिशत* से मामूली रूप से घटकर 2021-22 में 9.51 *प्रतिशत* हो गई। राजस्व व्यय की *प्रतिशतता* के रूप में सब्सिडी आंशिक रूप से 2020-21 में 10.34 *प्रतिशत* से घटकर 2021-22 में 10.19 *प्रतिशत* हो गई।

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स (बिजली सब्सिडी) दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) (पानी सब्सिडी) और महिला बस यात्रियों (डीटीसी)/ कलस्टर बसों) (मुफ्त बस यात्रा) के माध्यम से रा.रा.क्षे.दि.स. के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी को **तालिका 2.21** में दिया गया है।

तालिका 2.21: 2017-18 से 2021-22 के दौरान बिजली, पानी और मुफ्त बस यात्रा के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की प्रवृत्ति

वर्ष	बिजली सब्सिडी (₹ करोड़ में)	पानी सब्सिडी	मुफ्त बस यात्रा (₹ करोड़ में)
2017-18	1676.70	425.00	ला.न.
2018-19	1699.71	425.00	ला.न.
2019-20	2405.59	467.50	114.69
2020-21	2939.99	600.00	217.04
2021-22	3250.00	600.00	257.39

चार्ट 2.17: बिजली, पानी तथा मुफ्त बस यात्रा के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दी गई सब्सिडी की प्रवृत्ति

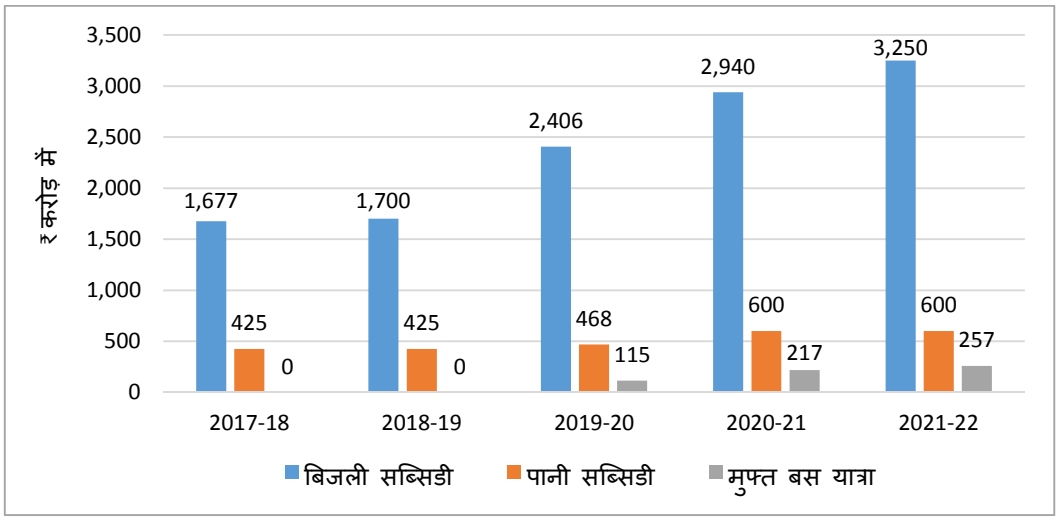

डिस्कॉम्स उपभोक्ताओं को दी गई बिजली सब्सिडी 2017-18 में ₹ 1,676.70 करोड़ से 93.83 *प्रतिशत* बढ़कर 2021-22 में ₹ 3,250 करोड़ हो गई। डीजेबी उपभोक्ताओं को दी जाने वाली पानी सब्सिडी 2017-18 में ₹ 425 करोड़ से 41.18 *प्रतिशत* बढ़कर 2021-22 में ₹ 600 करोड़ हो गई। महिला बस यात्रियों के लिए डीटीसी/क्लस्टर बसों को दी जाने वाली सब्सिडी 2019-20 में ₹ 114.69 करोड़ से 124.42 *प्रतिशत* तक बढ़कर 2021-22 में ₹ 257.39 करोड़ हो गई।

2.4.2.5 रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों और ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विवरण **तालिका 2.22** में दर्शाए गए हैं तथा वित्तीय सहायता में प्रवृत्तियों को **चार्ट 2.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगरपालिकाएं	6,242	6,337	6,222	5,500	5,490
कुल (क)	**6,242**	**6,337**	**6,222**	**5,500**	**5,490**
(ख) अन्य					
दिल्ली छावनी बोर्ड	26	23	15	15	11
दिल्ली जल बोर्ड	1,930	2,316	2,855	4,319	2,462
दिल्ली परिवहन निगम	2,007	1,825	2,030	2475	2,320
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	256	507	379	833	384
अन्य (दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उच्च शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा संस्थान, अस्पताल, सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, आदि)	2,962	4,079	4,732	3501	5,451
कुल (ख)	**7,181**	**8,750**	**10,011**	**11,143**	**10,628**
कुल (क+ख)	**13,423**	**15,087**	**16,233**	**16,643**	**16,118**
राजस्व व्यय	33,754	36,852	39,637	40,414	46,043
राजस्व व्यय की *प्रतिशतता* के रूप में सहायता	39.77	40.94	40.95	41.18	35.01

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सूचना

चार्ट 2.18 वित्तीय सहायता में प्रवृत्तियां

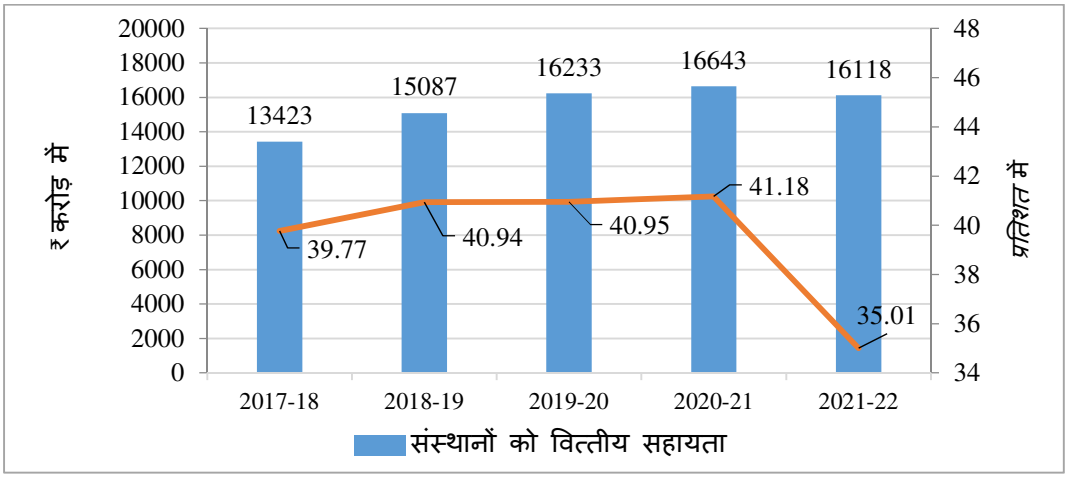

स्थानीय निकायों तथा अन्य को दी गई वित्तीय सहायता 2020-21 में ₹ 16,643 करोड़ से 3.15 *प्रतिशत* घटकर 2021-22 में ₹ 16,118 करोड़ हो गई। राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में वित्तीय सहायता 2020-21 में 45.53 *प्रतिशत* से घटकर 2021-22 में 41.18 *प्रतिशत* हो गई।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (पू.व्यय) में मुख्य रूप से अचल अवसंरचना परिसंपत्तियों जैसे सड़कों, भवनों आदि के निर्माण पर व्यय शामिल है। पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां **चार्ट 2.19** में प्रस्तुत की गई हैं।

चार्ट 2.19: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में पूंजीगत व्यय

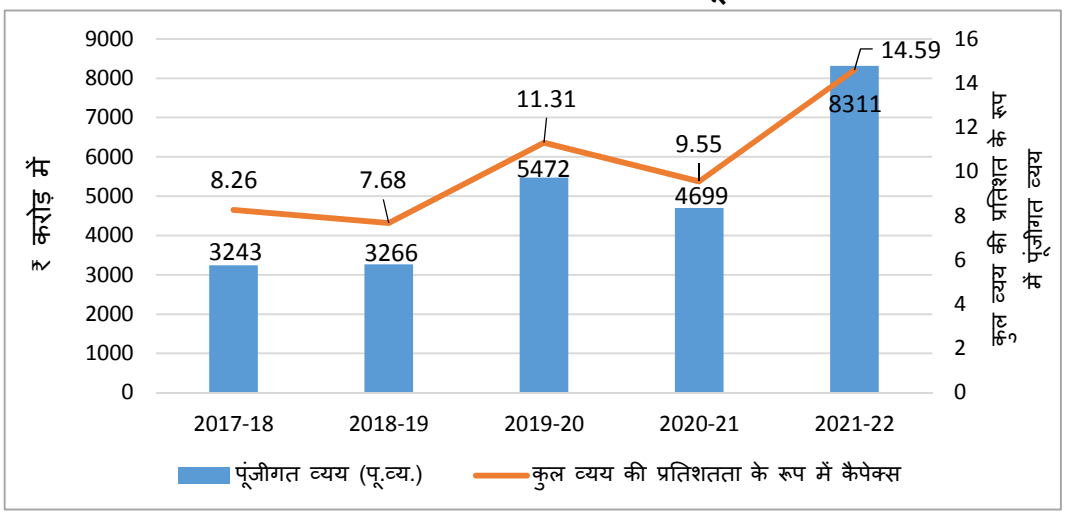

चार्ट 2.19 से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय में ₹ 3,243 करोड़ से ₹ 8,311 करोड़ तक अंतर-वर्ष में उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार कुल व्यय की *प्रतिशतता* के रूप में पूंजीगत व्यय में अंतर वर्ष में उतार-चढ़ावों को दर्शाता है जो 2017-22 की अवधि के दौरान 7.68 *प्रतिशत* से 14.59 *प्रतिशत* के बीच था। पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में बढ़कर ₹ 4,699 करोड़ से ₹ 8,311 करोड़ (76.87 *प्रतिशत*) हो गया।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तन

पूंजीगत व्यय के मुख्य शीर्षों में परिवर्तन **तालिका 2.23** में दर्शाए गये हैं।

तालिका 2.23: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान लेखा के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखा के मुख्य शीर्ष (मु.शी.)	2020-21	2021-22	प्रतिशतता में वृद्धि (+)/ कमी (-)
4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	536.83	1457.20	171.45
4202- शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूंजीगत व्यय	973.15	1999.78	105.50
5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत व्यय	654.85	1277.68	95.11
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत व्यय	211.60	316.97	49.80
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय	934.23	1270.42	35.99
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय	1121.53	1387.11	23.68
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय	102.98	118.35	14.93
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय	1.29	1.25	(-) 3.10

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (मु.शी.-4210) पर पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 171.45 *प्रतिशत* (₹ 920.37 करोड़) बढ़ गया जो मुख्य रूप से अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (₹ 963.42 करोड़) के कारण हुआ। इसी प्रकार, 'मुख्य शीर्ष-4202' के अंतर्गत शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति (मु.शी.-4202) पर पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में मुख्य रूप से इंजीनियरिंग/टेकनीकल कॉलेज तथा इंस्टीटयूट (₹ 448.78 करोड़), सैकेण्डरी एजूकेशन (₹ 392.83 करोड़) इत्यदि पर पूंजीगत व्यय की बढ़ोतरी के कारण (₹ 1026.63 करोड़) 105.50 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। सड़क परिवहन (मु.शी.-5055) पर पूंजीगत व्यय नए बस टर्मिनल तथा भूमि की खरीद के निर्माण के कारण मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में 95.11 *प्रतिशत* (₹ 622.83 करोड़) तक बढ़ गया। लोक निर्माण (मु.शी.-4059) पर पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से कार्यालय भवन के निर्माण के कारण 49.80 *प्रतिशत* (₹ 105.37 करोड़) तक बढ़ गया। सड़क तथा पुलों पर मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय (मु.शी.-5054) पुलों तथा सड़क निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय बढ़ जाने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 35.99 *प्रतिशत* (₹ 336.19 करोड़) तक बढ़ गया।

2.4.3.2 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2022 तक सरकार ने सरकारी कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 20,711 करोड़ का निवेश किया था। 2021-22 में निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 800 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण थी। 2021-22 में निवेश पर प्रतिफल 0.43 *प्रतिशत* था जबकि सरकार ने 2021-22 के दौरान अपनी उधारियों पर 6.50 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था। इसका विवरण **तालिका 2.24** में दिया गया हैः

तालिका 2.24: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारियों की लागत	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	19,173	19,261	19,411	19,911	20,711
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	15.91	14.31	15.84	9.80	89.58
प्रतिफल (*प्रतिशत*)	0.08	0.07	0.08	0.05	0.43
सरकारी उधारियों पर ब्याज की औसत दर (*प्रतिशत*)	8.58	8.64	8.14	7.04	6.50
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अंतर (*प्रतिशत*)	8.50	8.57	8.06	6.99	6.07
सरकारी उधारियों के ब्याज तथा निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	**1,630**	**1,651**	**1,565**	**1,392**	**1257**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सरकारी निवेश 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्षों की अवधि में 8.02 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। रा.रा.क्षे.दि.स. ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान अपनी उधारियों पर 6.50 *प्रतिशत* से 8.64 *प्रतिशत* के बीच की दर पर ब्याज का भुगतान किया जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों पर प्रतिफल की *प्रतिशतता* 0.05 *प्रतिशत* से 0.43 *प्रतिशत* (ऐतिहासिक लागत पर) के बीच की श्रेणी में थी। पांच वर्ष के दौरान वितरित और वसूले गए ऋण **तालिका 2.25** में दिए गए है।

तालिका 2.25: पांच वर्षों के दौरान वितरित और वसूले गए ऋणों की प्रमात्रा

(₹ करोड़ में)

वितरित एवं वसूले गए ऋणों की प्रमात्रा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया ऋणों का आरंभिक शेष	62,255	63,812	64,570	67,014	70,473
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	2,248	2,402	3,266	4,090	2,604
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	691	1,644	823	631	623
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	63,812	64,570	67,014	70,473	72,454
निवल योग	1,557	758	2,443	3,459	1,981
प्राप्त ब्याज	396	113	404	468	336
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.62	0.18	0.60	0.66	0.46
सरकार की बकाया उधारियों पर प्रदत्त ब्याज दर (*प्रतिशत*)	8.55	8.74	7.92	6.13	6.08
प्राप्त ब्याज दर और प्रदत्त ब्याज दर के बीच अंतर *(प्रतिशत)*	7.93	8.56	7.32	5.47	5.62

2.4.4 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2017-18 और 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को **तालिका 2.26** और **चार्ट 2.20** दर्शाता है।

तालिका 2.26: 2017-18 तथा 2021-22 में रा.रा.क्षे.दि.स. की राजकोषीय प्राथमिकता

(***प्रतिशत* में**)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	वा.व्य./स.रा.घ.उ.	पू.व्य./वा.व्य.	शिक्षा/वा.व्य.	स्वास्थ्य/वा.व्य.
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का (अनुपात) 2017-18	5.79	7.68	25.35	12.06
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का (अनुपात) 2021-22	6.16	13.94	22.78	15.93
वा.व्य.: = राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण और अग्रिम, पूं.व्य.: पूंजीगत व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर)				

चार्ट 2.20: 2017-18 और 2021-22 के दौरान सार्वजनिक व्यय में प्राथमिकता की प्रतिशतता

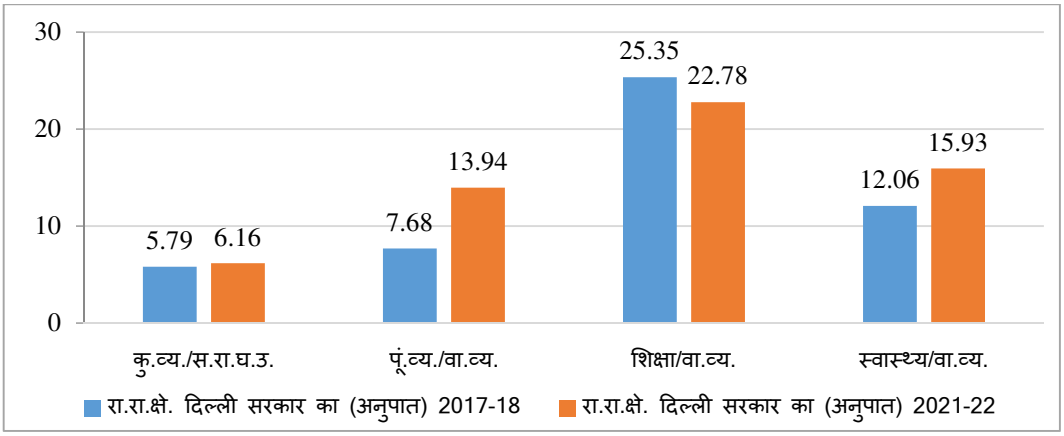

स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2017-18 में 5.79 *प्रतिशत* से बढ़कर 2021-22 में 6.16 *प्रतिशत* हो गया। इस अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय के हिस्से में 7.68 *प्रतिशत* से 13.94 *प्रतिशत* तक की वृद्धि दर्ज की गई है इसी अवधि के दौरान स्वास्थ्य पर व्यय के हिस्से में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि उसी अवधि में शिक्षा पर व्यय का हिस्सा 25.35 *प्रतिशत* से घटकर 22.78 *प्रतिशत* हो गया।

2.5 ऋण प्रबंधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए सभी आवश्यक ऋण भारत की संचित निधि से दिये गये हैं। भा.स. से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण प्राप्तियां शामिल है।

2.5.1 ऋण रूपरेखा: घटक

तालिका 2.27 विगत पांच वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋणों की रूपरेखा एक समय श्रृंखला का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.27: भा.स. से ऋण एवं रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की *प्रतिशतता*
2017-18	33,344.78	1,906.34	1,682.43	33,568.69	223.91	0.67
2018-19	33,568.69	2,880.00	3,636.35	32,812.34	(-)756.35	(-)2.25
2019-20	32,812.34	4,765.60	2,811.10	34,766.84	1,954.50	5.96
2020-21	34,766.84	15,365.00	3,265.17	46,866.67	12,099.83	34.80
2021-22	46,866.67	11,192.67	4,215.66	53,844.18	6,977.51	14.89

2021-22 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 41,786 करोड़ (₹ 53,844 करोड़ - ₹ 6,193 करोड़ - ₹ 5,865 करोड़) था क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि ऋण प्राप्तियों के तहत बैक टू बैक ऋण के रूप में राज्य को दिए गए ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) तथा ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे को राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा। इस प्रकार सरकार का प्रभावी ऋण 2017-18 के अंत में ₹ 33,569 करोड़ से ₹ 8,217 करोड़ (24.48 *प्रतिशत*) बढ़कर 2021-22 के अंत में ₹ 41,786 करोड़ हो गया।

2.6 ऋण धारणीयता

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण के आकार के अतिरिक्त, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। ऋण धारणीयता भविष्य में अपने ऋण को चुकाने के लिए राज्य की क्षमता को दर्शाता हैं। यह खंड विकास दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्तियों के अनुपात, ऋण भुगतान एवं ऋण प्राप्तियों और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को उपलब्ध शुद्ध ऋण के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन करता है। **तालिका 2.28** 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्ष की अवधि का इन संकेतकों के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.28: ऋण धारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियां

ऋण धारणीयता संकेतक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल बकाया ऋण* (₹ करोड़ में)	33,569	32,812	34,767	46,867**	53,844**
कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	0.67	-2.25	5.96	34.80	14.89
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	6,77,900	7,38,389	7,94,030	7,85,342	9,23,967
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	10.03	8.92	7.54	(-)1.09	17.65
कुल ऋण/ स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	4.95	4.44	4.38	5.22**	4.52**
ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में) **(क)**	2,871	2,867	2,752	2,874	3,274
बकाया सार्वजनिक ऋण की औसत ब्याज दर (*प्रतिशत*)	8.58	8.64	8.14	7.04	6.50
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	38,667	43,113	47,136	41,864	49,313
राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान का *प्रतिशत*	7.42	6.65	5.84	6.87	6.64
ऋण पुनर्भुगतान (₹ करोड़ में) **(ख)**	1,682	3,636	2,811	3,265	4,215
ऋण प्राप्तियां (₹ करोड़ में) **(ग)**	1,906	2,880	4,765	15,365	11,193
ऋण प्राप्तियों में ऋण पुनर्भुगतान की *प्रतिशतता*	88.25	126.25	58.99	21.25	37.66
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का उपलब्ध निवल ऋण*** **(ग-(क+ख))**	(-)2,647	(-)3,623	(-)798	9,226	3,704
ऋण प्राप्तियों के *प्रतिशतता* के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	ला.न.	ला.न.	ला.न.	60.05	33.09

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* बकाया सार्वजनिक ऋण शीर्ष '6003- आंतरिक ऋण' एवं '6004- केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत बकाया शेष का योग है।

** वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान जीएसटी मुआवजा में कमी के बदले भा.स. से प्राप्त किया गया क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ का बैक टू बैक ऋण भी शामिल है। इस ऋण की ऋण सेवाएं भुगतान जीएसटी मुआवजा निधि में सैस के संग्रहण से किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार, पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से नहीं लिया जाना चाहिए। इस बैक टू बैक ऋण को छोड़ने के बाद वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की समाप्ति पर रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रभावी ऋण क्रमशः ₹ 41,002 करोड़ एवं 41,786 करोड़ था।

*** रा.रा.क्षे.दि.स. के लिए उपलब्ध निवल ऋण की गणना सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान एवं सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान के उपर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

चार्ट 2.21: ऋण धारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियां

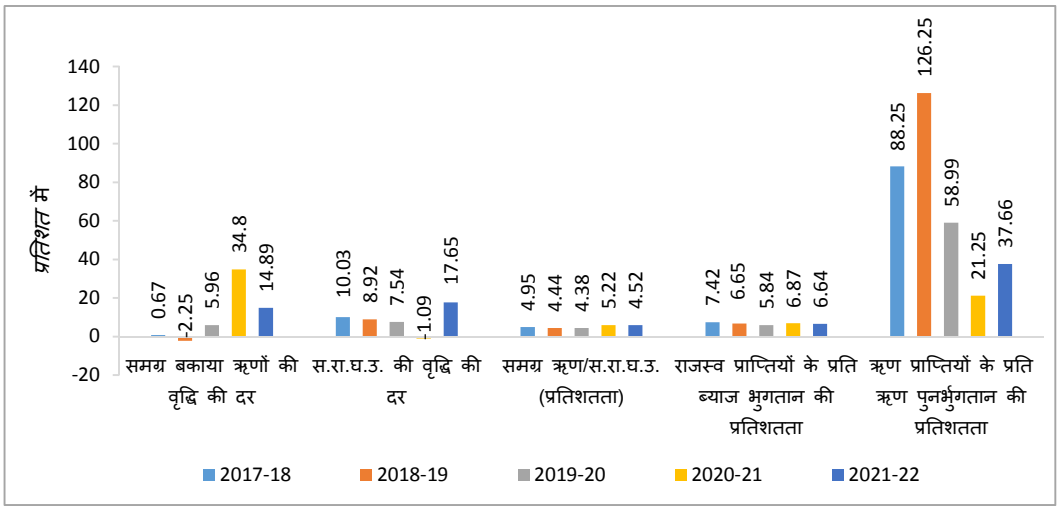

सार्वजनिक ऋण में पूर्व वर्ष की तुलना में 2021-22 में 14.89 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान (₹ 4,215 करोड़) सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों (₹ 11,193 करोड़) से कम था।

2.7 निष्कर्ष

कुछ सकारात्मक संकेतकों और उन पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता का एक आशुचित्र **तालिका 2.29** में दिया गया है।

तालिका 2.29: मुख्य मापदंड

सकारात्मक संकेतक	कड़ी निगरानी रखने वाले मापदंड
• राजस्व प्राप्तियां 17.79 प्रतिशत बढ़ गई। • स्वयं कर प्राप्तियां 36 प्रतिशत बढ़ गई। • सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान 29.10 प्रतिशत बढ़ गया। • पूंजीगत व्यय 76.87 प्रतिशत बढ़ गया।	• गैर-कर प्राप्तियां 15.61 प्रतिशत घट गई। • ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण 36.36 प्रतिशत घट गया।